

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक.-नर्सिंग / नर्स-2(F) / यू-2 / 2019 /

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर ।

विषय:- श्रीमती उर्मिला जैन, नर्स-2 के एसीपी प्रकरण बाबत।

सन्दर्भ:- निदेशालय के पत्रांक 1039 दिनांक 27.07.2018 एवं 1334 दिनांक
17.09.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती उर्मिला जैन नर्स-2 को 18 वर्षीय एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में कार्मिका की प्रथम नियुक्ति प्रसाविका के पद पर 05.01.86 को हुई थी, तत्पश्चात इन्होंने दिनांक 13.08.97 को नर्स-2 के पद पर कार्यग्रहण किया। परन्तु कार्मिका के विरुद्ध ज्ञापन सं0 877 दिनांक 09.08.11 में सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जांच लम्बित है। कार्मिका के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच की पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी एवं चयनित वेतनमान क्यों नहीं भिजवाया गया तथा लगभग 12 वर्ष विलम्ब से भिजवाने के क्या कारण रहे ? इस प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट चाही गई थी की सूचना आज दिवस तक अपेक्षित है। अतः प्रकरण में वांछित प्रति उत्तर आज ही जरिये ई-मेल आई डी agg4ng@gmail.com भिजवाये तथा प्रकरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब के कारण विपरित कार्यवाही के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

4
उप निदेशक (नर्सिंग)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / यू-2 / 2019 / 318

दिनांक:- 11/3/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- उप निदेशक(विधानसभा) मु0।

2- प्रभारी सर्वर रूम मु0।

4
उप निदेशक (नर्सिंग)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर